


135



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म०प० ग्वालियर, कैम्प रोड

म०प०



30

मौलई चर्मकार पिता विशाल चर्मकार निवासी राजेन्द्रनगर खुंधी, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना म०प० --- आवेदक/निग. कता

बनाम

परमेश्वरदास चर्मकार पिता स्व. देवनाथ चर्मकार मृत वारिस

- 1- श्रीकरलाल चौधरी,
- 2- कौशल प्रसाद चौधरी,
- 3- प्रियामप्रसाद चौधरी
- 4- होरालाल चौधरी
- 5- बाबू चौधरी,
- 6- सिंधी चौधरी,
- 7- अम्मा चौधरी
- 8- प्रियामकली चौधरी, सभी के पिता परमेश्वरदास चर्मकार, सभी निवासी

राजेन्द्रनगर खुंधी सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना म०प०,

--अनावेदक/गैर निग. कतागण

निगरानी प्रकरण क्र. III/निग. /17/

3940,

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदात 35 रु 30 प०

भू राजस्व संहिता 1959ई। वार्षिक प्रकरण को पुनर्स्थापित किये जाने ।

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि उक्त उम्मान की निगरानी माननीय न्यायालय में विचाराधीन

अचिन्शी सन्तोष  
भूजालाव कासा पेशा  
30-1-18  
29-1-18  
कलकत्ता असाफ कोर्ट  
भारत न्यायालय म०प० ग्वालियर  
(रजिस्ट्रार के पास)

II। पुणे विद्यापीठ | 2018 | 2.0. | खता | 07494

मौजई वहीकार - परमेश्वरदीन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के नाम
15-3-18.	<p>1- आवेदक की ओर से नीचे संतोष जीवालयक एड. द्वारा आवेदक द्वारा यह आवेदन सहित की द्वारा 35(3) के तहत मूल प्रमाण पुर्णक III/निगा/17/3940 आदेश दिनांक 28-12-17 को पुनः नमूदा में लिपि जागे हेड प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2- आवेदक अभिभावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया/तथा प्रमाण का अवलोकन किया/ प्रस्तुत आवेदन समप-लीम में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रमाण पुर्णक III/निगा/17/3940 पुनः नमूदा में लिपि जाता है। प्रमाण चालू किया जावे।</p> <p>3- प्रमाण रजी से समाप्त होकर सन्दर्भ है।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य,</p>	<p>पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के नाम</p> <p>पुनः नमूदा में लिपि जागे हेड</p> <p>सदस्य,</p>